राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की दिनांक 30.06.2010 की बैठक का कार्यवाही विवरण

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक का आयोजन दिनांक 30.6.2010 को किया गया जिसमें परिशिष्ठ–ए के अनुसार मंत्रीगण/अधिकारीगण ने भाग लिया।

सर्वप्रथम शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन द्वारा अभाव सम्वत 2066 के तहत चल रही अकाल राहत गतिविधियों की, संक्षिप्त में गतिविधिवार, अब तक की प्रगति से अवगत कराया। राज्य में अब तक हुई वर्षा की स्थिति व फसल बुवाई की प्रगति से भी अवगत कराया। राज्य के लघु एवं सीमान्त कृषकों को एवं लगातार दूसरे वर्ष अकाल से प्रभावित 12 जिलों के 2 से 5 हैक्टयर तक भूमिधारी, किसानों को उनके फसल खराबे के आधार पर सी.आर.एफ. मापदण्डों के अनुसार कृषि आदान अनुदान के रूप में किए जा रहे भुगतान की प्रगति से भी अवगत कराया। साथ ही जिला जैसलमेर एवं आसपास के क्षेत्रों में फेट (चक्रवात) के कारण उत्पन्न बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु की गई कार्यवाही एवं पहुंचाई गई राहत के बारे में जानकारी दी।

इसके पश्चात मौसम विभाग, जयपुर के निदेशक द्वारा मानसून की वर्तमान स्थिति एवं आगामी सम्भावनाओं को लेकर अपने आकंलन से सभी माननीय सदस्यों को एक संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अवगत कराया।

राज्य में अभी तक मानसून के प्रभावी प्रवेश न करने के कारण अकाल राहत के तहत संचालित पशु संरक्षण गतिविधियों (गौशाला, पशु शिविर, चारा डिपो, पशु आहार अनुदान, पशु चिकित्सा आदि), ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आपातकालीन पेयजल परिवहन, असहाय एवं निराश्रित लोगों को दी जा रही अनुग्रह राहत एवं द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिकाओं में संचालित राहत कार्यो की अवधि को बढ़ाये जाने को लेकर प्राधिकरण में व्यापक विचार–विमर्श हुआ तथा सर्वसम्मति से इस अवधि को 15 जुलाई, 2010 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया।

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 25.5.2010 में प्रदेश में पड रही भीषण गर्मी, लू एवं तापघात के परिपेक्ष्य में नरेगा/राहत कार्यों का समय घटाकर प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक करने एवं टास्क दर में छूट का निर्णय लिया गया था (पत्र क्रमांक 12577–668 दिनांक 25.5.10 से निर्णय की पालन में आदेश जारी)। इस संबधं में भारत सरकार से प्राप्त पत्र के जरिये जो आपत्ति की गई है एवं जानकारी मांगी गई है, उसके सम्बन्ध में आयुक्त, नरेगा द्वारा प्राधिकरण को विस्तार से अवगत कराया गया। गत निर्णय के बाद राज्य में मौसम की बदली हुई स्थितियों के प्रकाश में इस निर्णय की समीक्षा करना उचित समझा गया। व्यापक विचार–विमर्श के पश्चात नरेगा/राहत कार्यों का समय वर्तमान में लागू प्रातः 6 बजे से 10 बजे के स्थान पर जिलेवार की गई समीक्षा के आधार पर प्रातः 6 बजे से दोपहर बाद 3 बजे अथवा जिले में मानसून आने के पश्चात् प्रातः 9 बजे से 6 बजे तक निर्धारित करने हेतु जिला कलेक्टर्स को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक जिला कलेक्टर अपने जिले की मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त अनुसार कार्यों के समय में परिवर्तन कर सकेंगे। जिला कलेक्टर द्वारा जैसे ही उक्तानुसार नरेगा में अथवा शहरी क्षेत्रों में राहत कार्यो के निर्धारित समय में परिवर्तन किया जावेगा, पूर्व आदेश दिनांक 25.5.2010 द्वारा नरेगा में टास्क दरों में दी गई 20 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट तथा शहरी क्षेत्रों के राहत कार्यो में दी गई 50 प्रतिशत की छूट तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जायेगी।

अपवाद स्वरूप पूर्ववत अत्यधिक तापमान व लू की स्थिति कायम रहने पर ही नरेगा कार्यो का संचालन पूर्व पत्र दिनांक 25.5.2010 अनुसार किया जाएगा। यह व्यवस्था अधिकतम 15 जुलाई तक ही लागू रखी जा सकेगी तथा 15 जुलाई के पश्चात् नरेगा का निर्धारित समय प्रातः 9 से सायं 6 बजे तक होगा।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अपने सम्बोधन में विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति को सामान्य बनाये रखने को राज्य के समक्ष मुख्य चुनौती के रूप में निरूपित किया तथा सम्पूर्ण प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद आपूर्ति व्यवस्था बनाये रखने एवं स्थिति को नियंत्रण में बनाये रखने के लिये व्यवस्था से जुडे सभी सदस्यों की सराहना की। वर्तमान में 20 हजार ग्राम/ढाणियों एवं 80 शहरों/कस्बों में पेयजल परिवहन किया जा रहा है। इस कार्य में ग्राम पंचायतों का भी सहयोग लिया गया। इस हेतु ग्राम पंचायतों को 150 करोड़ रूपये हस्तान्तरित किये गये हैं। इस कारण ग्राम पंचायतों ने पेयजल आपूर्ति सामान्य बनाये रखने में प्रबन्धन में भागीदार बनकर सक्रिय एवं प्रशंसनीय भूमिका निभाई, जिससे स्थिति सामान्य बनाये रखने में बहुत मदद मिली। उन्होंने यह भी कहा कि चारा परिवहन अनुदान दुगुना करने का जो निर्णय राज्य सरकार ने लिया था उससे किसानों को सस्ता चारा उपलब्ध हो पाया और चारे के बाजार भाव भी नियंत्रण में रहे, जिससे पशु संरक्षण के कार्यों में अनुकूलता रही। साथ ही समय पर निःशुल्क चारा मिनी किट्स (13 लाख) के वितरण के कृषि विभाग के निर्णय की सराहना की तथा कहा कि इससे जहां पशुओं को अच्छी मात्रा में हरा चारा उपलब्ध हो पाया, वहीं चारे के भाव भी नियंत्रण में रहे।

उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व के वर्षों में राज्य में अकाल प्रबन्धन का जो अच्छा अनुभव रहा है, उसी अनुभव का लाभ इस बार भी लिया गया, जिसका यह परिणाम है कि अब तक राज्य में अकाल प्रबन्धन अच्छे ढंग से संचालित हो सका। जिसके लिये इस तंत्र से जुड़े सभी मंत्रीगण एवं अधिकारीगण बधाई के पात्र है। जहां तक नरेगा कार्यों के समय परिवर्तन को लेकर भारत सरकार से आपत्ति प्राप्त होने का प्रश्न है, सम्बन्धित पत्र का भारत सरकार को मुख्य सचिव की ओर से इससे जुडे समस्त पहलुओं को बतलाते हुए यथोचित माकूल जवाब भेजा जाना चाहिये, क्योंकि राज्य सरकार ने राज्य में भीषण अकाल, बढ़े हुए तापमान एवं प्रचण्ड लू से नरेगा/राहत श्रमिकों को बचाने के लिये समय घटाने का जो निर्णय लिया था, वह एकदम न्यायोचित था। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की संवेदनशीलता को समझते हुए भारत सरकार को नरेगा की मार्गदर्शिका में अथवा कानून में यथोचित संशोधन करना चाहिए जिससे कि स्थानीय परिस्थिति के अनुसार नरेगा के कार्य सम्पादित हो सके।

कृषि मंत्री महोदय द्वारा राज्य के कृषकों को कृषि फसल बीमा के शीघ्र भुगतान का मुद्दा उठाया गया। इस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदन को सूचित किया कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा इस मद में 550 करोड रूपये की राशि जारी कर दी गई है, शेष राशि को भी शीघ्र जारी कराने के लिये भारत सरकार से बात की जायेगी। राज्य सरकार ने बजट में इस मद में पूर्व से ही आवश्यक वित्तीय प्रावधान किया हुआ है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कृषकों को फसल बीमा राशि का भुगतान समय पर ही मिल जाये।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

10/7/10

शासन सचिव

परिशिष्ट--'अ'

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30.6.2010 में उपस्थिति सदस्यगण (मंत्री/अधिकारी)

क्र.सं.	नाम एवं पद विभाग
1	श्री शान्ति कुमार धारीवाल, गृह मंत्री
2.	डा0 जितेन्द्रसिंह, ऊजा मत्री
3.	श्री हेनाराम चौधरी, राजस्व मंत्री
4.	श्री हरजीराम बुडरक, कृषि एवं पशुपालन मंत्री
5.	श्री परसादीलाल मीना, सहकारिता मंत्री
6.	श्री ए0ए0खान, चिकि. एवं स्वास्थ्य मंत्री
7.	श्री महीपाल मदेरणा, जल संसाधन मंत्री
8.	श्री बृजेन्द्रसिंह ओला, आ0प्र0राज्य मंत्री
9.	श्री टी0श्रीनिवासन, मुख्य सचिव, राजस्थान।
10.	श्री एस0अहमद, अति0मुख्य सचिव, विकास/कृषि विभाग
11.	श्री सी0के0 मैथ्यू अति0मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
12.	श्री रामलुभाया, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग
13.	श्री सी0एस0 राजन, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
14.	श्री आर0के0 मीणा, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग
15.	श्री प्रदीप सैन , प्रमुख शासन सचिव,
16.	श्री ओ0पी0 सैनी, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग
17.	श्री बी0एल0 आर्य, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
18.	श्री श्रीमत पाण्डे, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय।
19.	श्री नरेशपाल, शासन सचिव, ऊर्जा विभाग
20.	श्री प्रवीण गुप्ता, परियोजना निदेशक, आर.एच.एस.डी.पी.
21	श्री एस0सिंह, निदेशक, आईएमडी